(f) The wholesale prices of coconua quoted in February, 1994 were as under :

(Rs. per quintal)

State/Centre	Variety	Price
Kerala		
Kozhikode	Dilpass	2,230
Karnataka	Local	2,125

(g) Yes, Sir. The price-policy for copra for 1994 season is under active consideration of the Government.

Cocoa Production

3297. SHRI V. GOPALSAMY : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what had been the total cocoa production in the country during the last three years, year-wise figures ;

(b) what had been the peak and low prices of cocoa in each year :

(c) what is the present price of cocoa in domestic market ;

(d) what is the price in the inter-national market ; and

(e) whether any steps are being taken to help cocoa cultivators ; if so, the details thereof ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) The official estimates of cocoa production in the country during the last three years are given as under :

(Tonnes)

1990-91	6,622
1991-92	6,075
1992-93	6,757

(b) The peak and low wholesale prices of cocoa beans (wet) at Kottayam market reported in each year were as under :

(Rs. per quintal)

Year	Low	High
1990-91	750	750
1991-92	750	1,266
1992-93	1,450	2,200

(c) The present wholesale price of cocoa beans (wet) in Kottayam market is quoted at Rs. 1050 per quintal.

(d) The international price of cocoa beans (dry) in New York market was quotted as US $ 1145 tonne.

(e) In order to help the cultivators to increase the production, a Central Sector Scheme with 100% Central Assistance is being implemented during Eighth Plan in major cocoa growing States. The Scheme seeks to provide assistance to the cocoa cultivators to step up productivity of existing gardens, area expansion programme and organised marketing.

भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन परियोजनाएं

3298. श्री राम नरेश यादव : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के अधीन उत्तर प्रदेश में कौन-कौन सी अनुसंधान परिषदों, अनुसंधान केन्द्रों और परियोजनाओं की स्थापना की गई है और ये कहां-कहां स्थापित किये गए हैं तथा उनके उद्देश्य क्या-क्या हैं ;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान उक्त केन्द्रों और परियोजनाओं पर कितनी-कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) अनुसंधान कार्य का कृषि उत्पादन पर क्या प्रभाव पड़ा है ?

कृषि मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस० कृष्ण कुमार) : (क) और (ख) उत्तर प्रदेश में कार्य कर रहे अनुसंधान संस्थानों, केन्द्रों तथा अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजनाओं के नाम तथा उन पर किया गया खर्च संलग्न विवरण-1 में तथा उद्देश्य संलग्न विवरण-2 में दिये गये हैं **(नीचे देखिए)** ।

(ग) अनुसंधान संस्थानों तथा राज्य कृषि विश्वविद्यालयों में किये गए अनुसंधानों से खाद्य फसलों, दलहनों, तिलहनों, गन्ना, सब्जियों तथा अन्य बागवानी फसलों में अधिक उपज देने वाली किस्मों के विकास में सहायता मिली है। राज्य में इन किस्मों के प्रभाव तथा विकसित की गई एक मुश्त कृषि क्रियाओं ने उत्पादन तथा कृषि फसलों की उत्पादकता बढ़ाने में मदद की है। राज्य में इन फसलों की ऐसी किस्में भी विकसित की गई है जो विपरीत स्थितियों में भी अच्छी उपज देने में सक्षम है।

विवरण 1

I. अनुसंधान संस्थानों तथा केन्द्रों और अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के नाम

(रु० लाख में)

समन्वित अनुसंधान प्रायोजना के नाम	1990-91	1991-92	1992-93
1. भारतीय पशु अनुसंधान संस्थान, बरेली	1335.93	1470.18	1647.54
2. केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली	192.75	196.27	224.54
3. भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी . .	263.02	262.48	325.89
4. भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ . . .	211.56	257.61	296.25
5. केन्द्रीय उत्तर मैदानी बागवानी संस्थान, लखनऊ . .	101.11	176.21	189.43
6. केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान तथा प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून	288.80	370.17	428.97
7. केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा . .	182.63	172.23	258.97
8. राष्ट्रीय मछली आनुवंशिक संसाधन ब्यूरो, इलाहाबाद . .	38.80	50.16	73.44
9. विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा . .	90.89	115.76	113.14
10. भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर . . .	620.99	394.24	452.92
11. मवेशी प्रायोजना निदेशालय, मेरठ . . .	62.86	135.80	102.38
12. सब्जी अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, वाराणसी . .	63.88	51.02	94.65
13. फसल प्रणाली अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, मोदीपुरम, मेरठ .	312.57	439.75	398.52
14. राष्ट्रीय वानिकी अनुसंधान केन्द्र . . .	44.39	67.73	51.49
15. राष्ट्रीय मांस तथा मांस उत्पाद अनुसंधान प्रायोजना, बरेली .	3.04	4.89	16.55
16. राष्ट्रीय शीत जल मछली अनुसंधान केन्द्र, हल्द्वानी . .	41.41	31.93	49.22

अनुबन्ध 1—जारी

II. अखिल भारतीय समन्वित अनुसंधान प्रायोजना का नाम तथा स्थान

(रु० लाख में व्यय)

क्र० सं०		1990-91	1991-92	1992-93
1	2	3	4	5
1	चावल; पन्तनगर, कानपुर, फैजाबाद तथा गोधराघाट	21.49	19.61	23.94
2	गेहूं, पन्तनगर, कानपुर, फैजाबाद, बनारस, अल्मोड़ा	24.99	23.82	30.16
3	मक्का; पन्तनगर, कानपुर, औली, वाराणसी, फैजाबाद	28.34	25.93	28.32
4	ज्वार; पन्तनगर, कानपुर, झांसी	4.39	4.53	5.41
5	दलहन; पन्तनगर, फैजाबाद, वाराणसी, भारारी	63.04	46.67	47.99
6	गन्ना; पन्तनगर	3.42	4.56	4.11
7	तिलहन; पन्तनगर, कानपुर, मैनपुरी, मउरानीपुर, फैजाबाद, वाराणसी	5.52	35.26	42.13
8	कपास; मथुरा	3.29	2.35	1.87
9	सोयाबीन; पन्तनगर	3.27	3.72	3.72
10	आलु; कानपुर	0.33	3.38	3.87
11	सब्जी; कानपुर	2.30	2.43	1.42
12	खुम्बी; पन्तनगर	1.50	2.32	2.67
13	औषधीय तथा संगधीय पौधे; फैजाबाद	3.23	4.20	4.69
14	जल प्रबन्ध; पन्तनगर, फैजाबाद	10.58	17.23	18.98
15	मृदा जांच फसल आनुक्रिया; पन्तनगर	2.33	3.00	5.45
16	दीर्घावधि उर्वरक परीक्षण; पन्तनगर	0.72	0.10	1.17
17	सस्य विज्ञान अनुसंधान; पन्तनगर, बरेली, कानपुर, फैजाबाद	44.59	23.89	24.26
18	राष्ट्रीय बीज प्रायोजना; पन्तनगर, कानपुर, फैजाबाद, झांसी, लखनऊ, वाराणसी	39.64	38.72	188.86
19	खरपतवार नियंत्रण; कानपुर, पन्तनगर, फैजाबाद	9.27	6.46	16.48
20	दिआरालैण्ड; फैजाबाद	4.53	4.85	4.55
21	बारानी कृषि; फैजाबाद, आगरा, वाराणसी	22.46	20.84	34.20
22	कृषि वानिकी; पन्तनगर, कानपुर, फैजाबाद	7.86	8.44	8.38
23	फसल कटाई के बाद की प्रौद्योगिकी; पन्तनगर; फैजाबाद	4.23	6.21	8.79
24	मोटे अनाज (बाजरा); कानपुर, फतेहाबाद	0.15	2.75	3.00
25	चारा फसल; फैजाबाद	3.75	70.00	60.00
26	संकर बीज प्रायोजना; फैजाबाद, पन्तनगर, अल्मोड़ा, कानपुर	33.58	46.95	19.08
27	सूक्ष्म जैविक अपघटन; कानपुर	2.08	1.78	1.62
28	जैविक नाइट्रोजन निर्धारण; वाराणसी	2.59	3.36	7.20
29	सूक्ष्म तथा गौण पोषक तत्व; लखनऊ	5.31	5.40	5.97

1	2	3	4	5
30	कूआं तथा पम्प; पन्तनगर	2.67	3.83	3.40
31	लवण प्रभावित मृदा; कानपुर, आगरा	16.61	21.90	18.57
32	सस्य मौसम विज्ञान; फैजाबाद, पन्तनगर	3.52	2.88	2.92
33	चुकन्दर; लखनऊ	0.93	0 96	1.44
34	तम्बाकू; सराय मीरा	0 48	0.97	0.75
35	नवीकरण ऊर्जा; स्रोत; पन्तनगर	0 52	1.61	2.01
36	फार्म उपकरण तथा मशीनरी; पन्तनगर	1.19	1.72	1.85
37	पॉवर टिलर; फैजाबाद	2.47	3.30	3.98
38	पशु ऊर्जा का उपयोग; पन्तनगर	1 98	3.55	3.27
39	ऊर्जा मांग; पन्तनगर	4.48	5.06	6.51
40	गुड़ तथा खांडसारी का साज-संभाल तथा प्रसंस्करण भण्डारण; पन्तनगर	1.15	0.10	1.84
41	तिलहन प्रक्रिया नेटवर्क	4.65	1.50	5.68
42	जूट तथा सम्बद्ध रेशा; प्रतापगढ़	2.16	3.45	3.77
43	पौधे जिनका पर्याप्त उपयोग नहीं हुआ है; रानीचौरी	0.61	0.60	0.78
44	एमाल मिलेट; पन्तनगर	0.88	2.06	3.75
45	जौ; कानपुर, फैजाबाद वाराणसी	8.85	11.36	10.41
46	तिलहन का प्रजनक बीज उत्पादन; कानपुर, पन्तनगर, फैजाबाद, वाराणसी	6.74	6.73	13.50
47	एक्रोलौजी; वाराणसी	1.00	1.30	0.94
48	सूत्रकृमि विज्ञान; कानपुर	0.66	1 04	0.84
49	कीटनाशी; कानपुर	2 30	2 94	3.12
50	सफेद मूंडी; रानीचौरी	1.51	1.56	1.79
51	उपोष्णकटिबंधी फल, पन्तनगर	2.52	3.09	3.31
52	शुष्क क्षेत्र के लिए उपयुक्त फल; फैजाबाद	1.77	1.47	1.01
53	सेब स्कैब; पन्तनगर	0.61	0.08	0.10
54	कंदवर्गीय फसल; फैजाबाद	0.54	0.61	0.79

विवरण 2

संस्थानों एवं अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाओं के उद्देश्य

1. संस्थान

(क) फसल-आधारित

फसल-आधारित संस्थान जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, कानपुर; भारतीय चरागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान, झांसी; विवेकानन्द पर्वतीय कृषि अनुसंधानशाला, अल्मोड़ा और भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान, लखनऊ के उद्देश्य हैं :

(i) नियत फसलों पर मौलिक एवं नीति-निर्धारक अनुसंधान करना;

(ii) फसलों के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करना;

(iii) सूचना केन्द्र के रूप में कार्य करना; और

(iv) परामर्श एवं विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करना।

(ख) बागवानी-आधारित :

उत्तरी मैदानों के लिए केन्द्रीय बागवानी संस्थान, लखनऊ और सब्जी अनुसंधान प्रायोजन निदेशालय, वाराणसी के उद्देश्य है :

(i) उपोष्णकटिबंधीय फलों एवं सब्जियों पर मौलिक एवं व्यावहारिक अनुसंधान करना;

(ii) शीतोष्ण फलों और सब्जियों के राष्ट्रीय भण्डार के रूप में कार्य करना;

(iii) संबंधित क्षेत्रों में वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान करना;

(iv) उत्पादन प्रौद्योगिकी विकसित करना और

(v) ज्ञानवर्धन के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना।

(ग) संसाधन प्रबन्ध-आधारित :

केन्द्रीय मृदा एवं जल संरक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, देहरादून; राष्ट्रीय कृषि-जानिकी अनुसंधान केन्द्र और फसल प्रणाली अनुसंधान प्रायोजना निदेशालय, मोदीपुरम, मेरठ। इन संस्थानों के उद्देश्य हैं :

(i) मृदा एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में मौलिक एवं नीति-निर्धारक अनुसंधान करना;

(ii) भूमि उपघटन को नियंत्रित करने, उसके स्तर को सुधारने और फसल प्रणाली संबंधी अनुसंधान;

(iii) भूमि अपघटन के नियंत्रण के लिए उपयुक्त प्रौद्योगिकी विकसित करना;

(iv) वैज्ञानिक नेतृत्व प्रदान करने के लिए संबंधित क्षेत्रों में ज्ञान के खजाने के रूप में कार्य करना;

(v) नई तकनीकों और नई प्रौद्योगिकियों में कार्मिकों को प्रशिक्षित करना।

(घ) पशु विज्ञान-आधारित :

भारतीय पशुचिकित्सा अनुसंधान संस्थान इज्जतनगर, बरेली; केन्द्रीय पक्षी अनुसंधान संस्थान, बरेली; राष्ट्रीय मांस एवं मांस उत्पाद, अनुसंधान केन्द्र, आई० वी० आर० आई० परिसर, बरेली; केन्द्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान, मखदूम, मथुरा; पशु प्रायोजना निदेशालय, मेरठ; राष्ट्रीय मछली आनुवंशिकी अनुसंधान ब्यूरो, इलाहाबाद और राष्ट्रीय शीतल जल मात्स्यिकी अनुसंधान केन्द्र। इन संस्थानों के उद्देश्य हैं :

(i) पशु/मछली उत्पादन पर मौलिक, व्यावहारिक और अनुकूलन संबंधी अनुसंधान करना;

(ii) आई० वी० आर० आई० उत्कृष्ट शिक्षा एवं स्नातकोत्तर शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है;

(iii) मवेशियों/मछलियों की नस्लों/जातियों का संग्रह, वर्गीकरण तथा मूल्यांकन और इसकी सूचना के राष्ट्रीय भण्डार के रूप में कार्य करना।

(iv) परामर्शदात्री सेवाएं प्रदान करना तथा

(v) ज्ञान को अद्यतन रखने के लिए कार्मिकों को प्रशिक्षित करना।

अखिल भारतीय समन्वित प्रायोजनाएं :

समन्वित प्रायोजनाओं के उद्देश्य है :

(i) प्रौद्योगिकियों की जांच तथा मूल्यांकन और क्षेत्र की उपयुक्तता के लिए उनका पता लगाना;

(ii) नियत फसलों और संसाधन प्रबन्धों में विशिष्ट स्थानों का चयन करना;

(iii) क्षेत्र में उपयुक्तता के लिए खाद्य, बागवानी तथा अन्य फसलों की किस्मों का पता लगाना;

(iv) अनुसंधान परिणामों तथा प्रौद्योगिकियों का राज्य के विभागों तथा उपयोगकर्ता एजेंसियों का स्थानांतरण ताकि वे उन्हें अपना सकें।

Adulteration in Fertilizers

3299. DR. SHRIKANT RAMACHANDRA JICHKAR : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) whether Government are aware of complaints made by farmers in Maharashtra about the adulteration in fertilizers during the year 1993-94 ;

(b) if so, the details thereof ;

(c) what steps are being taken to ensure that there is no adulteration in fertilizers ; and

(d) what action has been taken in cases of adulteration ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) No complaint has been received from the farmers with regard to adulteration in fertilisers doring 1993-94 in the State of Maharashtra.

(b) Does not arise.

(c) The following are some of the important steps taken by the Government to ensure the supply of quality fertilisers :—

(i) The Fertilisers (Control) Order, 1985 empowers the Central and State Governments to enforce quality standards in production and distribution of fertilisers through duly notified Fertiliser Inspectors. This Order is amended, from time to time, on need based considerations to ensure effective implementation of quality control standards.

(ii) The State Governments have been delegated adequate powers to impliment the Order and take legal action against offenders.

(iii) There are 53 Fertiliser Control Laboratories in the country having an analysing capacity of 98360 samples per year. A Central Sector Scheme, to strengthen these Laboratories, on need based considerations has been taken up during the current Plan.

(d) Depending on the extent and nature of nutrient deficiency, the following legal actions are taken in cases of adulteration :—

(i) Issue of warnings.

(ii) Suspension and cancellation of Certificate of Registration.

(iii) Seizure of stocks.

(iv) Criminal prosecution of offenders in which penalty imposed may extend to imprisonment upto 7 years, with or without fine.

Specification for Potassic Fertilizers

3300. SHRI BHUPINDER SINGH MANN : Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state :

(a) what are the specification for potassic fertilizers ;

(b) what is the small particle size allowed In the specifications ;

(c) whether the smaller particles contain different compositions ; and

(b) if so, the details thereof and if not, reasons for framing these specifications ?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE (SHRI ARVIND NETAM) : (a) and (b) The specifications of potassic fertilisers included in Fertilser Control Order, 1985 are given in the enclosed statement. (See below)

(c) and (d) The chemical composition remains the same irrespective of particle size. Specifications of particle size has been prescribed in the Feriiliser Control Order to optimise convenience in field application and utilisation.